भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2348
गुरूवार, 20 मार्च, 2025 / 29 फाल्गुन, 1946 (शक)

गिग वर्कर्स हेतु सामाजिक सुरक्षा

2348. श्री नीरज डांगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान गिग वर्कर्स की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;
(ग) क्या वर्तमान वर्ष 2025-26 के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लक्षित गिग वर्कर्स की संख्या और समय-सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो कितने गिग वर्कर्स को लाभ मिलने की आशा है; और
(घ) क्या सरकार के पास गिग वर्कर्स की नौकरी छूटने के संबंध में किसी प्रकार का कोई आंकड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उन्हें नौकरी उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में दिए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

इस संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों के तैयार करने के उपबंध हैं।

नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "भारत की तीव्रता से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जो वर्ष 2029-30 तक 23.5 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।

ऑनलाइन प्लेटफार्मों के गिग कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए, संघ सरकार ने दिनांक 1.2.2025 को अपनी बजट घोषणा में उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने, उनके पहचान पत्रों की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

******